बिहार सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक–02/शमन–07(A)/2015, परि० पटना, दिनांक–.........................

अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988–सहपठित– मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा–200 के तहत इस विभाग की अधिसूचना संख्या–6497, दिनांक–01.09.2019 द्वारा पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के पदाधिकारियों तथा राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित ओ0पी0 प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988–सहपठित– मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कतिपय धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी ।

मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के समीक्षोपरांत उपर्युक्त शमन की धाराओं में कतिपय संशोधन करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988–सहपठित– मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा–177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194B, 194C, 194D, 194E, 194F के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–6497, दिनांक–01.09.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

3. यह अधिसूचना, अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा।

4. शेष यथावत् रहेगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/शमन–07(A)/2015, परि० पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/शमन–07(A)/2015, परि० 7558 पटना, दिनांक– 11/10/19

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/शक्ति प्रदत्त सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय)/संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/सभी प्रर्वत्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/10

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।